प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

3. इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य सरकार के विनियोग लेखें की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल है।

4. "वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग" पर अध्याय 3 चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजस्व एवं सामान्य क्षेत्रों से संबंधित विभागों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।